भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : **414**
दिनांक 31 मार्च, 2022 / 10 चैत्र,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों की आस्त्यों का मौद्रीकरण

*** 414. डॉ. उमेश जी. जाधव:**

श्री बी.वाई.राघवेन्द्र

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अंतर्गत विमानपत्तनों की आस्तियों का मौद्रीकरण करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) आस्ति मौद्रीकरण हेतु विचारित विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चयनित विमानपत्तनों और मौद्रीकरण प्रक्रियाधीन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक चयनित विमानपत्तन हेतु कुल कितनी बोलियां लगाई गई हैं; और

(घ) आस्ति मौद्रीकरण संबंधी कार्य से सरकार को अनुमानत: कितनी आय प्राप्त होगी?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ): वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"हवाईअड्डों का संपत्ति मौद्रीकरण" के संबंध में लोकसभा के दिनांक 31.03.2022 के तारांकित (*) प्रश्न सं.414 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित वक्तव्य:

(क) राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 25 हवाईअड्डे नामत: भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी को वर्ष 2022 से 2025 तक परिसंपत्ति मौद्रीकरण के लिए चिन्हित किया गया है।

हवाईअड्डा अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) ने क्षेत्र में आवश्यक निवेश लाने के अलावा सेवा वितरण, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिकता में दक्षता लाई है। इसके अलावा, एएआई को इन हवाईअड्डों में अपने निवेश को अग्रिम भुगतान के रूप में वापस प्राप्त करना है जिसका उपयोग एएआई द्वारा टियर II और टियर III शहरों में हवाईअड्डे के अवसंरचना के विकास के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को लीज अवधि के दौरान इन हवाईअड्डों पर पूंजीगत व्यय (सीईपीएक्स) एवं प्रचालनिक व्यय (ओपीईएक्स) का वहन अपेक्षित नहीं है। एक बार रियायत की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, ये सभी हवाईअड्डे, सभी अपग्रेड हुए अवसंरचना के साथ, एएआई के पास वापस आ जाएंगे।

(ख) और (ग): एएआई ने पीपीपी के तहत 6 हवाई अड्डों अर्थात भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, रायपुर, इंदौर और त्रिची हवाईअड्डों के परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पहचान की है। एएआई ने इन 6 हवाई अड्डों के साथ 7 छोटे हवाई अड्डों को मिलाने/जोड़ने की भी सिफारिश की है, ताकि छोटे हवाईअड्डों को भी एक साथ विकसित किया जा सके। इन हवाईअड्डों में पीपीपी प्रक्रिया के लिए अब तक बोलियां आयोजित नहीं की गईं हैं।

(घ): बोली प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात ही हवाईअड्डों के मौद्रिकरण से सरकार की अनुमानित आय का पता लगाया जा सकता है।